पीड़ित महिलाओं का पड़ाव यानी अल्पावास गृह

जीवन से निराश हो चुकी महिलाओं व युवतियों को जीने की कला सिखायी जाएगी

विनय कुमार झा

अल्पावास गृह या शॉटस्टे होम। शोषित व पीड़ित महिलाओं का कुछ दिनों का ठिकाना। इस सरकारी आश्रय में पंद्रह दिन से महीने-दो महीने तक ऐसी महिलाएं यहां रह सकती हैं। यहां जीवन से निराश हो चुकी महिलाओं व युवतियों को जीने की कला सिखायी जाएगी। उनमें अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत व जज्बा पैदा किया जाएगा। इसके लिए कानूनी व मनोवैज्ञानिक परामर्श भी दिये जाएंगे। उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि वे दूसरों की मोहताज नहीं रहें। राजधानी पटना सहित राज्य के सभी जिलों में ऐसे अल्पावास गृह बनाने की योजना है। लेकिन ढाई साल से अधिक हो गए अब तक अल्पावास गृह मूर्त रूप में नहीं आ सका है। महिला विकास निगम को इस योजना को अमलीजामा पहनाने का जिम्मा दिया गया था। कुछ जगहों पर जिला प्रशासन तो कई जगहों पर स्वैच्छिक संगठनों की मदद से इसे बनाया जाएगा।

क्यों हो रही देरी

शार्टस्टे होम के बनने में आखिर देरी क्यों हो रही है। ढाई साल से अधिक ही हो गए। दरअसल जिलों में इसके लिए जगह की तलाश कुछ लंबी ही हो जा रही है। मनमाफिक जगह मिल नहीं पा रही है। कोशिश हो रही है कि जिला मुख्यालय के आसपास अल्पावास गृह हो।

रिमांड होम की भीड़ कम होगी

शार्टस्टे होम बन जाने के बाद ट्रैफिकिंग की शिकार और घर से बिछुड़ी युवती व महिलाओं की रिमांड होम व आफ्टर केयर होम में ठूसमठूस नहीं होगी। अत्यधिक भीड़ के चलते आए दिन रिमांड होम में मारपीट व हंगामा की नौबत आन पड़ती है। जिलाधिकारी द्वारा ट्रैफिकिंग की शिकार व परिजनों से बिछुड़ी महिला व युवतियों को रिमांड होम में ही रखा जाता रहा है। रिमांड होम में ऐसी शोषित व पीड़ितों की अत्यधिक भीड़ हो जाती है। लेकिन अल्पवास गृह के बनने के बाद इन्हें अल्पवास गृह में ही रखा जाएगा।

एक छत के नीचे दोनों सहायता

शोषण व उत्पीड़न की शिकार महिला व युवतियों को एक ही छत के नीचे दोनों तरह की सहायता मुहैया करायी जाएगी।

अल्पावास गृह एक नजर

- हर जिले में होगा अल्पावास गृह, पटना में दो अल्पावास गृह
- 25 महिलाओं को रखा जाएगा, 15 दिन से 2 महीने रह सकती हैं यहां
- वकील, मनोवैज्ञानिक परामर्श व प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी

यहां पर वकील व मनोवैज्ञानिकों की व्यवस्था होगी। ये काउंसिलर शोषित व पीड़ित महिलाओं की समस्या जानकर जरूरी सलाह देंगे। यहां पर लाइफस्कील यानी जीवन जीने की कला भी सिखायी जाएगी। हुनरमंद बनाने के लिए प्रशिक्षण का इंतजाम होगा। हर महिला को कोई न कोई हुनर सिखाया जाएगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

हेल्पलाइन से जोड़ने की योजना

अल्पावास गृहों को हेल्पलाइन से भी जोड़ने की योजना है। ताकि यहां पड़ाव डाली महिलाओं को हर तरह की सहायता प्रदान हो सके। महिलाओं के साथ हुई घटना की जांच भी करायी जाएगी।

किन्हें मिलेगा आश्रय

- जिन किशोरियों पर मानव तस्कर की नजर पड़ गई हो
- जिन महिलाओं को घर से निकाल दिया गया हो
- परिजनों से बिछुड़ी महिलाएं या युवतियां

हर जिले में बनने हैं शार्ट स्टे होम, महीने-दो महीने तक होगा ठिकाना, कानूनी व मनोवैज्ञानिक सलाह भी, हुनरमंद भी बनायी जाएंगी, जगह की तलाश कुछ लंबी ही हो गयी, जमीन की व्यवस्था हो रही है।

दामोदर राउत, मंत्री, समाज कल्